न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी –हेमराज गुर्जर (R.A.S.)

मुकदमा नं0 :– 44 / 2022 तारीख रजू :– 23.06.2022

जीसीएमएस नं0 2022 / 351

1. शिवसिंह पुत्र–दौजी सभी जाति–जाट
2. राजबहादुर निवासी–बरगंमा तहसील–हिण्डौन
3. गिरदोदेवी जिला करौली राजस्थान
4. धर्मेन्द्र

——— प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली

————— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम की धारा 128 बाबत पत्थरगढी

उपस्थिति:– 1. श्री अशोक नीमनका वकील प्रार्थी

2. अप्रार्थी पैरोकार सरकार

निर्णय

दिंनाक :–06.06.2024

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नं0 1049 रकवा 25 ऐयर स्थित ग्राम बरगमॉ तहसील हिण्डौन में प्राथीगण की खातेदार काश्तकार है। जिस पर प्राथीगण काबिज एवं दखील हैं जिससे अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्राथीगण द्वारा ही प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:11:52 IST
Reason: SelfAttested

आराजी की डोल मेड को लेकर प्राथी[illegible] एवं अन्य लोगों के मध्य भ्रम की स्थिति बनी रहती है। जिसक चलते आये दिन [illegible] को लेकर डोल की स्थिति को लेकर विवाद की स्थिति एवं संभावना बनी रहती है। उक्त परिस्थितियों [illegible]लने एवं समस्या के स्थायी निवारण बाबत् खसरा नं0 1049 स्थित ग्राम बरगमॉ की पत्थरगढी किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नं0 1049 रकवा 25 ऐयर स्थित ग्राम बरगमॉ तहसील हिण्डौन की पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तबल किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमहावीरजी द्वारा जबाब पेश किया गया जिसमें उक्त आराजी खसरा न0 1049 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम बरगमा तहसील श्रीमहावीरजी के संबंध में जबाब पेश कर पत्थरगढी के आदेश होने पर पत्थरगढी करवाने का तथ्य अंकित किया है।

प्रार्थीगण वकील को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1049 रकबा 25 ऐयर में प्रार्थीगण गिरदो देवी पत्नि दौजी हिस्सा 1/6 जाति जाट सा.देह खातेदार, छोट पुत्र सोहनलाल हिस्सा 1/2 जाति जाट सा.देह खातेदार, राजबहादुर पुत्र दौजी हिस्सा 1/6 जाति जाट सा.देह खातेदार, शिवसिंह पुत्र दौजी हिस्सा 1/6 जाति जाट सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1049 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम बरगमा का पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार श्रीमहावीरजी को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम की धारा 128 के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीमहावीरजी को आदेश दिये जाते हैं कि आप मौके पर पहुँचकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1049 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम बरगमा का मौके पर सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करावें, सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करने से पूर्व तारीख एवं समय निशिचित करते हुए खसरा नम्बर 1049 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम बरगमा के सभी खातेदारों को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करें तथा प्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस तहसीलदार श्रीमहावीजी के यहाँ 7 दिवस में जमा करावें। पालना रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमहावीरजी एक माह में इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:11:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमहावीरजी को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 06.06.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/6/24

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौनजिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:11:52 IST
Reason: SelfAttested